संं0सं0–5 बजट (1) 47/2022 ..10 XT0 (वि0)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

राँची/दिनांक 01.07.25

विषय– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) में राज्य योजना तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत मो0 6117.3946 लाख (एकसठ करोड़ सतरह लाख उनचालीस हजार चार सौ साठ) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन में उपलब्ध बजट उपबंध मो0 6005.00 लाख रु0 तथा मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत् परिव्यय में उपलब्ध बजट उपबंध मो0 1415.00 लाख रु0 अर्थात् कुल मो0 7420.00 लाख रु0 मात्र के विरुद्ध मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन में मो0 5949.9871 लाख तथा मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत् परिव्यय में मो0 167.4075 लाख अर्थात् कुल मो0 6117.3946 लाख (एकसठ करोड़ सतरह लाख उनचालीस हजार चार सौ साठ) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह राज्य योजना चालू प्रकृति की अम्ब्रेला योजना **(Umbrella Scheme)** है जिसमें तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास योजना के अतिरिक्त फीड बेस्ड फिशरीज योजना, मत्स्य बीज हैचरी का अधिष्ठापन योजना, केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना तथा समेकित मत्स्य पालन योजना भी सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत विभागीय मत्स्य बीज वितरण, मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति, पोर्टेबल हैचरी एवं विभागीय हैचरियों से स्पॉन उत्पादन, जलाशयों एवं नदियों के छाड़न में in-situ स्पॉन संचयन, जलाशयों में मेजर कार्प तथा ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन, तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु मत्स्य अंगुलिका के कय में सहायता, पूर्व अधिष्ठापित केजों तथा विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc Tank/Biofloc Pond में पंगेशियस/GIFT तिलापिया एवं अन्य उपयुक्त बीज का संचयन, पुराने आर0एफ0एफ0 हेतु इनपुट, नए आर0एफ0एफ0 का अधिष्ठापन, अनुदान पर ग्रो–आउट नेट, गिल–नेट, मोटरचालित नाव, केज हाउस का अधिष्ठापन, केज रिपेयरिंग, मछली–सह–बत्तख पालन, मछली उत्पादन में बढ़ोत्तरी (फीड बेस्ड फिशरीज) के लिए मत्स्य कृषकों को अतिरिक्त मछली के उत्पादन हेतु अनुदान पर फ्लोटिंग फीड उपलब्ध कराने के साथ ही राँची, रामगढ़, कोडरमा, बोकारो, धनबाद एवं सरायकेला जिले में स्थापित फिश फीड फैक्टरी हेतु आवश्यकता अनुसार संचालन, केज अधिष्ठापन, इनपुट, फ्लोटिंग जेट्टी अधिष्ठापन, केज रिमॉडलिंग आदि कार्य किए जायेंगे।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो0 6117.3946 लाख (एकसठ करोड़ सतरह लाख उनचालीस हजार चार सौ साठ) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :–

माँग संख्या–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

(राशि लाख रू0 में)

क0	लघु शीर्ष /विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
(क)	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन			
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण **53S24050010106010317**	20.00	20.00	0.00
2	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050010106010323**	2450.00	2449.9978	0.0022
3	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–29–व्यवसायिक सेवाएँ **53S24050010106010329**	10.00	0.00	10.00
4	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–37–विद्युत व्यय **53S24050010106010337**	25.00	25.00	0.00
5	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) **53S24050010106010543**	12.00	12.00	0.00
6	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय **53S24050010106010759**	25.00	25.00	0.00
	उप योगः	**2542.00**	**2531.9978**	**10.0022**
(ख)	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050078906010323**	750.00	749.99885	0.00115
	उप योगः	**750.00**	**749.99885**	**0.00115**
(ग)	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण **53S24050079606010317**	10.00	10.00	0.00
2	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050079606010323**	2580.00	2579.99045	0.00955
3	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–29–व्यवसायिक सेवाएँ **53S24050079606010329**	20.00	0.00	20.00
4	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–37–विद्युत व्यय **53S24050079606010337**	20.00	20.00	0.00
5	विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियाँ/ईंधन–40–नई मोटरगाड़ी का कय **53S24050079606010440**	25.00	0.00	25.00
6	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) **53S24050079606010543**	35.00	35.00	0.00
7	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय **53S24050079606010759**	23.00	23.00	0.00
	उप योगः	**2713.00**	**2667.99045**	**45.00955**
	योग (मुख्य शीर्ष–2405) :	**6005.00**	**5949.98710**	**55.0129**

मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत् परिव्यय–72–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

क0	लघु शीर्ष /विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
(घ)	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन			
1	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S44050010172010544**	200.00	81.5625	118.4375
2	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य **53S44050010172010545**	350.00	0.00	350.00
	उप योगः	**550.00**	**81.5625**	**468.4375**
(ङ)	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
1	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S44050078972010544**	20.00	16.4250	3.5750
	उप योगः	**20.00**	**16.4250**	**3.5750**
(च)	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
1	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S44050079672010544**	200.00	69.42	130.58
2	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य **53S44050079672010545**	645.00	0.00	645.00
	उप योगः	**845.00**	**69.42**	**775.58**
	योग (मुख्य शीर्ष–4405) :	**1415.00**	**167.4075**	**1247.5925**
	कुल योग (मुख्य शीर्ष– 2405 + 4405) :	**7420.00**	**6117.39460**	**1302.60540**

कुल मो0 6117.3946 लाख (एकसठ करोड़ सतरह लाख उनचालीस हजार चार सौ साठ) रु0 मात्र।

4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची / पश्चिमी सिंहभूम / पूर्वी सिंहभूम / गुमला / लोहरदगा / पलामू / गढ़वा / दुमका / साहेबगंज / गोड्डा / धनबाद / बोकारो / हजारीबाग / गिरिडीह / देवघर / चतरा तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला–खरसॉवा / सिमडेगा / लातेहार / जामताड़ा / पाकुड़ / रामगढ़ / खूँटी / कोडरमा तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची एवं सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची होंगे जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के संलग्न विवरणी के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे। इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि से संलग्न परिशिष्ट–I, II, III, IV, V, VI एवं VII में उल्लेखित भौतिक लक्ष्यों एवं वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ही राशि व्यय की जाएगी।

5. योजना के नियंत्री पदाधिकारी राज्य स्तर पर निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार –

6. इस योजना में विभागीय प्रक्षेत्रों में कुल 2500 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन मो0 9000/– (नौ हजार) रु0 प्रति लाख मत्स्य बीज की अनुमानित दर पर किया जायेगा। लघु शीर्ष–789 में उत्पादित 300 लाख मत्स्य बीज का 80 प्रतिशत् अर्थात् 240 लाख मत्स्य बीज, लघु शीर्ष–796 में उत्पादित 1310 लाख मत्स्य बीज का 80 प्रतिशत् अर्थात् 1048 लाख मत्स्य बीज एवं लघु शीर्ष–101 में उत्पादित बीज 890 लाख का 80 प्रतिशत् अर्थात् 712 लाख मत्स्य बीज अर्थात् कुल 2000 लाख मत्स्य बीज मो0 10,000/– (दस हजार) रु0 प्रति लाख की दर से बिक्री कर मो0 200.00 लाख (दो करोड़) रु0 का राजस्व प्राप्त किया जायेगा।

शेष 500 लाख मत्स्य बीज अनुदान पर वैसे अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा, जो नगद राशि पर मत्स्य बीज का क्रय किए हों। अस्सी हजार मत्स्य बीज क्रय करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषकों को बीस हजार मत्स्य बीज शत्–प्रतिशत् अनुदान पर देय होंगे। यह अनुपातिक रुप से जिलावार इस कोटि के लक्ष्य के अधीन होगा।

7. निजी क्षेत्र के प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों के द्वारा कुल 473.75 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुल 1895 करोड़ मत्स्य स्पॉन प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को सरकारी तथा गैर सरकारी हैचरी से अधिकतम 550/–रु0 प्रति लाख स्पॉन की अनुमानित दर से उत्पादन/जिला स्तरीय निविदा द्वारा क्रय कर आपूर्ति करने की योजना है। आपूर्ति किये जाने वाले स्पॉन के मूल्य का 90 प्रतिशत व्यय का वहन सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत मूल्य का वहन लाभुक मत्स्य बीज उत्पादक द्वारा किया जायेगा। समान मूल्य दर पर स्थानीय हैचरी संचालकों को प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य के पोर्टेबल/प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना/विभागीय योजना/अन्य योजना से निर्मित मत्स्य बीज हैचरियों से 615 करोड़ मत्स्य स्पॉन उत्पादन तथा विभागीय हैचरियों के रख–रखाव (ब्रूडर तथा प्रेरित प्रजनन सहित) एवं इनसे 148 करोड़ मत्स्य स्पॉन का उत्पादन किया जाएगा। प्रति करोड़ मत्स्य स्पॉन उत्पादन हेतु अधिकतम 40,000/– रु0 की दर से अथवा वास्तविक व्यय जो कम हो, का व्यय किया जाएगा। पोर्टेबल हैचरी से उत्पादित स्पॉन की बिक्री से प्राप्त आय संबंधित हैचरी संचालक समूह के बैंक खाते में जमा होगी ताकि इस समूह के हैचरी कार्य से इन्हें स्थानीय रोजगार उपलब्ध हो सके। अवशेष राशि हैचरी के रख–रखाव एवं अगले चक्र हेतु उपयोग की जायेगी।

पायलट प्रोजेक्ट के रुप में राज्य में विभागीय स्तर पर पंगेशियस मत्स्य बीज हैचरी का संचालन मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची के द्वारा किया जाएगा। विभागीय हैचरी के रख–रखाव एवं स्पॉन उत्पादन के तहत् ही राशि का व्यय किया जायेगा।

7500 मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य स्पॉन से मत्स्य बीज की तैयारी, निकासी एवं बिक्री हेतु 2000/–रु0 का फैक्ट्री फॉरमूलेटेड एक्सट्रूडेड मैश फीड (Factory Formulated Extruded Mash Feed) दिया जायेगा, साथ ही जाल आदि के क्रय पर अधिकतम् 2000/–रु0 अनुदान प्रति बीज उत्पादक की दर से झास्कोफिश, राँची के द्वारा आपूर्ति की जाएगी। झास्कोफिश, राँची से अनुपलब्धता की स्थिति में GeM / जिला स्तर पर निविदा आमंत्रित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

8. (क) मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सक्रिय सदस्यों/बीज उत्पादकों के माध्यम से जलाशयों में in-situ मत्स्य बीज का उत्पादन/संचयन कराया जायेगा। इस पर प्रति लाख स्पॉन से मत्स्य बीज के उत्पादन पर अधिकतम मो0 800/– रु0 मात्र की अनुमानित दर से विभागीय रुप से व्यय किया जायेगा। चयनित स्थल, संचित किये गये स्पॉन, की गई आवश्यक तैयारी तथा फोटोग्राफ्स आदि से संबंधित अभिलेख तैयार करने की जिम्मेवारी संबंधित क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। इस कार्यक्रम के भौतिक ऑकड़ों/उपलब्धियों का अंकन अभिलेख का आवश्यक अंग होगा। स्थल चयन मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सक्रिय सदस्यों/बीज उत्पादकों तथा संबंधित क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रुप से की जाएगी एवं उसका भी ब्यौरा अभिलेख में संधारित किया जायेगा। इसीप्रकार नदियों में भी in-situ मत्स्य बीज का उत्पादन/संचयन कराया जायेगा। इस पर प्रति लाख स्पॉन से मत्स्य बीज के उत्पादन पर अधिकतम मो0 700/– रु0 मात्र की अनुमानित दर से विभागीय रुप से व्यय किया जायेगा।

(ख) जिला मत्स्य पदाधिकारी अपने जिले के जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन के प्राप्त भौतिक लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर बड़े जलाशयों, मध्यम जलाशयों एवं छोटे जलाशयों में संचयन हेतु विभाजित करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक जलाशयों में समानुपातिक रुप से अंगुलिकाओं का संचयन संभव हो। उप मत्स्य निदेशक (जलाशय)/निदेशक मत्स्य द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन हेतु आवश्यक संख्या का अनुमोदन किया जाएगा। निदेशक मत्स्य द्वारा जलाशयों में अंगुलिकाओं के ससमय संचयन हेतु आवश्यकतानुसार दिशा निदेश निर्गत किया जायेगा।

(ग) पुराने आर0एफ0एफ0 में इनपुट्स (यथा मत्स्य बीज, पूरक आहार आदि) हेतु संलग्न परिशिष्टों में अंकित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप प्रति यूनिट अधिकतम 25,000/– रु0 अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की दर से कार्य संपादित किए जायेंगे।

(घ) जलाशयों/नदियों के छाड़न हेतु स्पॉन का क्रय GeM / जिला स्तर पर निविदा के माध्यम से प्रकिया अनुसार किया जायेगा।

(ङ) इस योजना अंतर्गत निजी क्षेत्र के तथा बंदोबस्त सरकारी तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु स्थानीय स्तर पर उत्पादित मत्स्य अंगुलिका के क्रय में 50 प्रतिशत सहायता अर्थात् अधिकतम 1875/– रु0 प्रति एकड़ औसत जलक्षेत्र (लगभग 5000 बीज प्रति एकड़) हेतु अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त एवं चालू वित्तीय वर्ष में झास्कोफिश/विभागीय फिश फीड मिल से फीड प्राप्त करने वाले मत्स्य कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। जिला मत्स्य कार्यालय से संबद्ध मत्स्य बीज उत्पादकों से मत्स्य अंगुलिका क्रय किया जायेगा। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी संचयन के Geo tagged फोटोग्राफ्स (Latitude – longitude सहित)/वीडियोग्राफ्स/पंजी आदि संधारित कराकर सुरक्षित रखेंगे। विभाग द्वारा मत्स्य स्पॉन प्राप्त करने वाले मत्स्य बीज उत्पादक एवं उनके परिवार को यह लाभ देय नहीं होगा।

(च) योजना के अन्तर्गत आकस्मिकता मद की स्वीकृत राशि से पर्यवेक्षण, फोटोग्राफी, डाटा इन्ट्री इत्यादि कार्य किए जाएँगे।

9. मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन जिला स्तर पर पूर्व से उपायुक्त द्वारा गठित समिति एवं जलाशय के निबंधित सहयोग समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया जायेगा। संचयन के कार्यक्रम से जिले के उपायुक्त को संचिका के माध्यम से अवगत कराया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार नई समिति का गठन उपायुक्त की सहमति से किया जा सकेगा।

10. (क) पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अमृत कतला/अन्य उपयुक्त बीज तथा अन्य मेजर/ग्रास कार्प की अंगुलिकाओं के क्रय हेतु जिला स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर "इच्छा की अभिव्यक्ति" आमंत्रित की जायेगी। समान मूल्य दर पर स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादकों/प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी संचयन एवं in-situ बीज उत्पादन के फोटोग्राफ्स (Latitude – longitude सहित)/वीडियोग्राफ्स/पंजी आदि संधारित कराकर सुरक्षित रखेंगे।

(ग) एक मत्स्य बीज उत्पादक से न्यूनतम 50 हजार तथा अधिकतम 02 लाख मत्स्य बीज (मेजर कार्प अंगुलिका) ही क्रय किये जायेंगे एवं तदनुसार लाभुक के बैंक खाते में अनुदान की राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) विगत वर्षों की भाँति ही समितियों एवं उनके सदस्यों को दिए जाने वाले 198 नाव हेतु प्रति नाव की अनुमानित इकाई लागत 33,000/– (तैंतीस हजार) रू0 होगी जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम् 30,000/– (तीस हजार) रू0 प्रति नाव लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। शेष राशि मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा उनके सदस्यों के द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(ङ) केज रिपेयरिंग की अनुमानित लागत 35,000/– (पैंतीस हजार) रू0 है जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम् 25,000/– (पच्चीस हजार) रू0 की होगी। शेष राशि केज लाभुकों/धारक समितियों के द्वारा स्वयं वहन किया जायगा। केज रिपेयरिंग के लिए इच्छुक लाभुक जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन देंगे। प्राप्त आवेदनों की स्थल जाँच प्रभारी मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक अथवा आवश्यकतानुसार जिला मत्स्य पदाधिकारी स्वयं लाभुक के साथ ससमय करेगें। मरम्मति योग्य केज का लाभुकवार केज रिपेयरिंग के अभिलेख तैयार किए जायेंगे। अभिलेख में लाभुक का आवेदन, केज का फोटोग्राफ् (Latitude – longitude सहित), रिपेयरिंग कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की सूची (दर सहित), मजदूरी पर व्यय की गई राशि, केजों की कुल संख्या एवं रिपेयरिंग के उपरांत फोटोग्राफ् तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी की टिप्पणी सहित लाभुक का कार्य सम्पादित का आवेदन संधारित किये जायेंगे। केज रिपेयरिंग में प्रयुक्त सामग्रियों/मजदूरी का भुगतान केज अधिष्ठापन के वर्तमान प्राक्कलन/अधिसूचित दर के आधार पर वास्तविक अथवा अधिकतम मो0 25000/–रू0 प्रति केज बैटरी, जो भी कम हो किया जायेगा तथा शेष राशि केज लाभुकों/धारक समितियों के द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी केज रिपेयर में हुए कार्यों में लाभुकों के अंशदान के समानुपातिक राज्य सहायता सुनिश्चित करेंगे।

(च) जलाशयों में वर्ष 2019–20 तक निर्मित केजों के लिए कम से कम 6 मीटर x 4 मीटर x 5 मीटर साईज के 45 Ply के 12–24 mm eye size नायलॉन, 210 D नायलॉन knotted / knotless (लाभुक के इच्छानुसार) ग्रो–आउट नया नेट लगाना आवश्यक है। एक लाभुक को अधिकतम् दो नये ग्रो–आउट नेट ही देय होंगे। वित्तीय वर्ष 2023–24 में निदेशक मत्स्य द्वारा ग्रो आउट नेट की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में 45 Ply के knotted ग्रो–आउट हेतु निर्धारित न्यूनतम दर 30,200/– रुपये का 75 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 22,650/– रुपये का स्वीकृत अनुदान देय होगा तथा शेष लाभुक का अंशदान होगा। केज मत्स्य पालक अगर knotless ग्रो–आउट नेट अथवा 6 मीटर x 4 मीटर x 5 मीटर साईज से बड़े साईज के ग्रो–आउट नेट का क्रय करते हैं तो उनके 75 प्रतिशत अनुदान की गणना उक्त दर 30,200/– रुपये प्रति नेट के आधार पर ही की जाएगी एवं आवश्यक शेष राशि का वहन लाभुक द्वारा किया जायेगा।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के केज के क्षेत्र की मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। वैसे केज लाभुक जिनके पास वर्ष 2020–21 के पूर्व अर्थात् वर्ष 2019–20 तक के निर्मित केज हों तथा केजों में वर्तमान में मछली पालन किया जा रहा है। साथ ही लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। केज मत्स्य पालकों द्वारा उपरोक्त निर्धारित मूल्य के नये ग्रो–आउट नेट के क्रय का अभिश्रव प्रस्तुत करने पर अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक के द्वारा ग्रो–आउट नेट का भौतिक सत्यापन अनुदान विमुक्त करने के पूर्व किया जाएगा।

(छ) जलाशयों में मछली पालन के दौरान मत्स्य पालकों की सुरक्षा तथा आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली मोटरचालित नाव की मांग को ध्यान में रखते हुये जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को 4 से 6 सीटर क्षमता वाले मोटरचालित नाव {FRP Boat, Size- 14'- 0" x 5'- 4" x 2'- 0" के साथ 9.9 HP OBM HIDEA/SUZUKI/YAMAHA/OUTBOARD etc. equivalent, Manual Rope Start 2 Stroke Petrol operated तथा Accessories-Oars (2 Nos.) एवं PP Rope- 50 Ft.} उपलब्ध कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में निदेशक मत्स्य द्वारा मोटरचालित नाव की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 4,14,000/– रुपये का 90 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 3,72,600/– रुपये का स्वीकृत अनुदान देय होगा तथा आवश्यक शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन लाभुक समितियों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

लाभुक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का चयन जिले के उपायुक्त द्वारा किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएँगे। इस हेतु चयन समिति का गठन उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। बोट के संचालन तथा रख–रखाव की जिम्मेवारी संबंधित लाभुक मत्स्यजीवी सहयोग समिति की होगी।

(ज) इसी प्रकार जलाशयों में मछली की शिकारमाही करने वाले जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों/सदस्यों/विस्थापितों तथा कोविड–19 के प्रवासी मजदूरों को मछली की शिकारमाही हेतु प्रति लाभुक अधिकतम 05 कि0 ग्रा0 गिल नेट (Fish Net Nylon Poly, Twin size 1/3, Mesh size 75mm – 150 mm, M.D 100) हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाना है। इस स्पेशिफिकेशन के गिल नेट के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में निदेशक मत्स्य द्वारा इकाई लागत निर्धारित करने के लिए आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 590/– रुपये के विरूद्ध 90 प्रतिशत् की आर्थिक सहायता अर्थात् 2655/– रु0 दी जाएगी एवं आवश्यक शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन लाभुकों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। लाभुक को अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत दो वर्षों का मछली शिकारमाही का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। उपरोक्त उल्लिखित स्पेशिफिकेशन के नये 05 कि0 ग्रा0 गिल नेट क्रय का अभिश्रव प्रस्तुत करने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी के सत्यापन उपरान्त अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी।

(झ) पूर्व में वर्ष 2015–16 तक विभिन्न जलाशयों में केज हाउस का निर्माण कराया गया है। किन्तु वर्ष 2016–17 से केन्द्र प्रायोजित ब्लू रेभोल्यूशन योजना एवं एन0एफ0डी0बी0 द्वारा तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत् राज्य के विभिन्न जलाशयों में निर्मित केजों के साथ केज हाउस निर्मित नहीं हैं। इन केजों में मछलियों के आहार (Fish Feed) को रखने की व्यवस्था तथा केज पालकों के ठहरने हेतु केज हाउस आवश्यक है। केज हाउस के अधिष्ठापन से जलाशयों में अधिष्ठापित केजों में मछली पालन की निगरानी भी अच्छे तरीके से की जा सकेगी। कार्यपालक अभियंता, RWD Works Division, हजारीबाग द्वारा मो0 6,05,450/– रुपये मात्र प्रति केज हाउस के प्राक्कलन पर दिनांक 21.09.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

निदेशक मत्स्य द्वारा उपरोक्त तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के विरूद्ध केज हाउस की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 6,01,000/– रुपये पर अधिकतम 90 प्रतिशत अनुदान देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा। साथ ही लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। पूर्व के वैसे केज लाभुक जिन्हें केज हाउस का लाभ नहीं मिला है, उन्हें इस केज हाउस का लाभुक बनाया जा सकता है।

ध्यान रखा जाए कि जहाँ पूर्व से केज हैं, वहीं केज हाउस का निर्माण कराया जाय और मोटरबोट उपलब्ध कराई जाए।

(ञ) नये आर0एफ0एफ0 के लिए प्रति चालीस मी0 X पाँच मी0 के नेट के साथ इनपुट व्यय सहित इकाई लागत मो0 86,000/– रु0 अनुमानित है। इस योजना के अंतर्गत आकस्मिकता मद की स्वीकृत राशि से पर्यवेक्षण, फोटोग्राफी (Latitude – longitude सहित), डाटा इन्ट्री इत्यादि कार्य किए जाएँगे।

(ट) अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) मद के तहत् आवश्यकतानुसार कार्यों के साथ–साथ कय आदि की विहित प्रक्रिया का पालन करते हुये सोलर लाईट अधिष्ठापन का कार्य किया जायेगा।

(ठ) योजना के अंतर्गत उपर्युक्त कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर मत्स्य निदेशालय द्वारा जिलों को अनुदेश जारी किये जायेंगे।

(ड) प्राथमिक स्तर पर प्रखण्ड प्रभारी मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक एवं द्वितीय स्तर पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण तथा स्थल निरीक्षण किया जाएगा। मदवार प्रगति के आँकड़ों का मासिक संकलन जिला स्तर पर करते हुए इसका प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को प्रेषित किया जाएगा।

निदेशालय स्तर पर उप मत्स्य निदेशक, योजना, प्रसार एवं अनुश्रवण/जलाशय/सहायक मत्स्य निदेशक (तकनीकी)/निदेशक मत्स्य द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी इस योजना के अंतर्गत राज्य के भौतिक उपलब्धियों की साप्ताहिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे तथा भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करायेंगे। निदेशालय स्तर पर आवश्यकतानुसार योजना के विभिन्न एवं आवश्यक कम्पोपेंटस का समय–समय पर मूल्यांकन कराया जाएगा।

<u>समेकित मत्स्य पालन</u> –

11. राज्य के मत्स्य पालकों को समेकित मत्स्य पालन की ओर उन्मुख करने तथा उनकी आय में बढ़ोत्तरी हेतु निजी क्षेत्र के लिए मछली–सह–बत्तख पालन योजना की स्वीकृति दी जाती है।

i. इस योजना में लाभुकों के द्वारा मछली–सह–बत्तख पालन (2 Components) किया जाएगा।
ii. वित्तीय वर्ष 2020–21 में मत्स्य प्रसार, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान योजना अन्तर्गत राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.02.2021 को सम्पन्न बैठक में एक कॉम्पोनेन्ट के रूप में मछली–सह–बत्तख पालन की स्वीकृति प्राप्त है। बैठक की कार्यवाही माननीय योजना–सह–वित्त मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) के ज्ञापांक रा0 यो0 प्रा0 – 35/21 दिनांक 01.03.2021 द्वारा निर्गत है।

12. (क) चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए भी समान इकाई लागत दर (मो0 1,53,350/–रू0) प्रति 0.4 हेक्टर जलक्षेत्र (तालाब) लागू होगी। Duck House लाभुक द्वारा स्थानीय स्तर पर बनाया जायेगा।

(ख) इस योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत (अधिकतम मो0 1,22,680/–रू0) होगा तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत (अधिकतम मो0 1,07,345/–रू0) होगा, शेष सभी राशि लाभुक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। इसी प्रकार 0.2 हेक्टेयर पर मछली–सह–बत्तख पालन के लिए राज्य सरकार के अंशदान की राशि समानुपातिक रुप से होगी।

13. प्राथमिकता एक एकड़ अथवा उससे बड़े जलक्षेत्र के तालाबों को दी जाएगी किन्तु एक स्थल/लाभुक पर एक यूनिट (160 ducklings) ही स्वीकृत किया जायेगा।

RFF के लिए भी प्रति स्थल अधिकतम दो इकाई (Two units) की परियोजना होगी। लाभुक का अंशदान वहाँ कार्यरत लाभुक समूह/मत्स्यजीवी सहयोग समिति द्वारा वहन किया जाएगा।

14. समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में लाभुकों का चयन जिला स्तर पर "सुरक्षित जमा निर्धारण समिति" द्वारा किया जायेगा जिसमें जिला पशुपालन पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी (पशु चिकित्सक) विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

15. लाभुकों का चयन निम्न बिन्दुओं/अहर्त्ताओं पर किया जायेगा –

(क) योजना कार्यान्वयन का प्रस्तावित स्थल आबादी के नजदीक हो।

(ख) लाभुक का अपना तालाब (प्राथमिकता एक एकड़ अथवा उससे बड़े तालाब) हो अथवा वित्तीय वर्ष 2025–26 से तीन वर्षों के लिए लीज पर हो।

(ग) जिला मुख्यालय के नजदीक के लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि अनुश्रवण आदि में सुविधा हो।

(घ) RFF के पास के लाभुकों के चयन में ध्यान रखा जाएगा कि RFF का लाभुक समूह सक्रिय हो तथा उनका बैंक खाता संचालित हो रहा हो।

(ङ) लाभुकों का cluster बनाकर योजना का कियान्वयन किया जाना श्रेयस्कर होगा।

(च) वैसे योग्य लाभुक जो वित्तीय वर्ष 2024–25 में सक्षम स्तर से चयनित हुए हैं तथा कार्य किये जाने एवं विपत्र कोषागार में भेजे जाने के उपरांत भी अनुदान की राशि की कतिपय कारणों से निकासी संभव नहीं हो सकी, उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जायेगा।

16. (क) समेकित मत्स्य पालन के रुप में मछली–सह–बत्तख पालन का जिलावार एवं लघु शीर्षवार भौतिक लक्ष्य (यूनिट में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में) परिशिष्ट **'IV'** के रुप में संलग्न है।

(ख) मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 668 दिनांक 01.06.2021 एवं पत्रांक 691 दिनांक 09.06.2021 द्वारा 0.4 हे0 अर्थात् एक यूनिट समेकित मत्स्य पालन हेतु इसके विभिन्न अवयव संबंधित अधीनस्थ स्थापनाओं को संसूचित हैं।

17. सरकार का अनुदान तीन किस्तों में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा लाभुक को डी0 बी0 टी0 के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। अनुदान की प्रथम किस्त तथा लाभुक के अंशदान से बत्तख–घर (Duck-House) का निर्माण, Starter feed/ medicines तथा Ducklings क्रय किये जायेंगे। उक्त कार्य होने पर द्वितीय किस्त तथा दो माह तक Ducks के जीवित रहने के उपरान्त तृतीय किस्त की राशि विमुक्त की जायेगी।

क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस हेतु राशि विमुक्त की जा रही है उसका व्यय उन्हीं कार्यों में किया जाय।

<u>फीड बेस्ड फिशरीज</u> –

18. कंडिका '3' के तालिका के कमांक – (क) 1 एवं (ग) 1 में कार्यालय उपकरण मद में अंकित राशि जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची, बोकारो एवं धनबाद तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावॉ, रामगढ़ एवं कोडरमा को उपलब्ध कराई जायेगी, जिनके द्वारा (जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची द्वारा प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची से प्राप्त माँग के आलोक में) फीड मिल के उपकरणों का कय GeM के माध्यम से किया जाएगा। GeM में उपलब्ध नहीं रहने पर वित्त विभाग द्वारा स्थापित विहित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त उल्लिखित तालिका के कमांक – (क) 6 एवं (ग) 7 में अंकित अन्य व्यय की राशि से विभिन्न जिलों में स्थापित फीड मिल के संचालन में आकस्मिकताओं के भुगतान (मात्र राँची जिला के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची द्वारा प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची से प्राप्त माँग के आलोक में) हेतु व्यय किया जायेगा। साथ ही इसी तालिका के कमांक – (क) 4 एवं (ग) 4 में अंकित विद्युत व्यय की राशि से राँची (जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची द्वारा प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची से प्राप्त माँग के आलोक में), सरायकेला, रामगढ़, कोडरमा, बोकारो तथा धनबाद के फीड मिल के विद्युत विपत्रों का व्यय किया जायेगा।

19. विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री मद में स्वीकृत राशि से मत्स्य कृषकों/केज मत्स्य पालकों को मछली के उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत् अथवा 25/– रू0 प्रति कि0ग्रा0 अधिकतम् अनुदान पर कम से कम 24 % प्रोटीन गुणवत्तायुक्त 2 mm से बड़े 4 mm तक का फिश फीड उपलब्ध कराया जाएगा।

विभाग द्वारा स्थापित फिश फीड मिल अथवा झास्कोफिश से उत्पादित फिश फीड अथवा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत सरकारी अनुदान से स्थापित फिश फीड मिल से उत्पादित फीड पर ही यह लाभ कृषकों को फीड के रुप में ही दिया जाएगा।

20. उपर्युक्त कंडिका 19 के अतिरिक्त मत्स्य पालकों को 2 mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड (खुले बाजार से) के क्रय पर भी 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25/–रू0 प्रति किलोग्राम फीड की दर से ही अनुदान देय होगा।

एक लाभुक को अधिकतम कुल 700 किलोग्राम 2 mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 25/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अधिकतम 17500/–(सतरह हजार पाँच सौ) रू0 अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी।

21. कंडिका 19 एवं 20 के अतिरिक्त केज मत्स्य पालकों को दूसरे crop से मछली उत्पादन के लिए 2 mm से बड़े 4 mm तक के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड (खुले बाजार से) के क्रय पर 50 प्रतिशत् अथवा अधिकतम 25/–रू0 प्रति किलोग्राम फीड की दर से अनुदान देय होगा। एक लाभुक को अधिकतम कुल 1500 किलोग्राम 2 mm से बड़े 4 mm तक के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 25/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अधिकतम 37,500/–(सैंतीस हजार पाँच सौ) रू0 अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी। इसके अतिरिक्त रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक टैंक तथा बायोफ्लॉक तालाब के लिए भी अनुदान पर फीड उपलब्ध कराया जाएगा जो निम्न प्रकार है –

(क) <u>रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम</u> (RAS) – रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में दूसरे crop से मछली उत्पादन के लिए एक लाभुक को 90 m^3 के प्रति टैंक (अधिकतम 08 टैंक) के लिए अधिकतम 650 किलोग्राम प्रति टैंक की दर से 4 mm तक के साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 25/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी।

(ख) <u>बायोफ्लॉक टैंक</u> (Biofloc Tank) – इसी प्रकार बायोफ्लॉक टैंक में दूसरे crop से मछली उत्पादन के लिए एक लाभुक को 10 m^3 के प्रति टैंक (अधिकतम 50 टैंक) के लिए अधिकतम 50 किलोग्राम प्रति टैंक की दर से 4 mm तक के साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 25/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी।

(ग) <u>बायोफ्लॉक तालाब</u> (Biofloc Pond) – बायोफ्लॉक तालाब (0.1 Ha) में दूसरे crop के मछली उत्पादन के लिए एक लाभुक को अधिकतम 1500 किलोग्राम प्रति तालाब (0.1 Ha) की दर से 4 mm तक के साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 25/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी।

22. केज मत्स्य पालकों/रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम लाभुकों/बायोफ्लॉक टैंक लाभुकों/बायोफ्लॉक तालाब के लाभुकों को अनुदान पर फिश फीड उपलब्ध कराने हेतु उनके चयन में यह ध्यान रखा जाय कि लाभुक सक्रिय केज मत्स्य पालक/सक्रिय रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम संचालक/सक्रिय बायोफ्लॉक टैंक संचालक/सक्रिय बायोफ्लॉक तालाब संचालक हो तथा उसके द्वारा केज में/रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में/बायोफ्लॉक टैंक में/बायोफ्लॉक तालाबों में वर्तमान में मछली पालन किया जा रहा हो। उसके पास कम से कम पिछले एक crop का रिकॉर्ड

हो। मात्स्यिकी गतिविधियों (मत्स्य बीज संचयन की विवरणी, संचित मत्स्य बीज की संख्या तथा उपलब्ध मछली, मछलियों के ग्रोथ, उत्तरजीविता तथा बिकी की गई मछलियों का data) से नियमित रुप से जिला मत्स्य कार्यालय को अवगत कराने के लिए सहमत हो।

23. जिला मत्स्य पदाधिकारी लाभुकवार मत्स्य बीज संचयन की विवरणी, संचित मत्स्य बीज की संख्या तथा उपलब्ध मछली (कि0 ग्रा0 अथवा टन में) की विवरणी प्राप्त करेंगे। मछलियों के ग्रोथ, उत्तरजीविता तथा उपलब्ध मछलियों (यदि संचित मछलियों में से बिकी की गई हो तो शेष उपलब्ध मछलियों) के अनुरुप ही चार किस्तों में लाभुक को अनुदान देय होगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा इस संबंध में लाभुकवार प्रतिवेदन निदेशालय को प्रेषित कर ही अनुदान का भुगतान किया जायेगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किस्तवार देय अनुदान उपलब्ध स्टॉक तथा इसके लिए आवश्यक समानुपातिक फीड के अनुरुप हो।

24. लाभुक द्वारा 2 mm अथवा इससे छोटे साईज / 2 mm से बड़े 4 mm तक के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड (खुले बाजार से) का वास्तविक रूप में कय किया गया है एवं इसकी GST Billing हुई है, इसकी पूर्ण जिम्मेवारी सम्बंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। GST Billing के बिना किसी भी लाभुक के खाते में राशि डी0बी0टी0 नहीं की जायेगी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित हो लेंगे कि लाभुक को देय अनुदान की राशि उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 50 प्रतिशत अथवा 25/–रू0 प्रति किलोग्राम अधिकतम अनुदान से ज्यादा नहीं हो। साथ ही समय–समय पर फोटोग्राफी की भी जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

कंडिका '20' तथा '21' में अंकित अनुदान की विमुक्ति की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी इस तथ्य की सत्यता की जाँच कर लेंगे कि आवेदक द्वारा वास्तव में GST विपत्र के साथ फीड का कय किया है।

फीड बेस्ड फिशरीज के लिए जिलावार एवं लघु शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट **'V'** के रुप में संलग्न है। निदेशक मत्स्य जिलावार लक्ष्य के अनुरुप योजना के कार्यान्वियन के लिए विभागीय सचिव के अनुमोदनोपरान्त आवश्यकतानुसार दिशा निदेश निर्गत करेंगे।

<u>केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण</u> –

25. राज्य के वैसे सभी खदान जिनमें मछली पालन की संभावना है, उनमें केज कल्चर के माध्यम से मत्स्य पालन करने तथा स्थानीय ग्रामीणों/विस्थापितों की आय में बढ़ोत्तरी हेतु निम्न शर्त्तों के साथ राज्य योजना अन्तर्गत यह योजना स्वीकृत की गई है–

i. केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण में चालू वित्तीय वर्ष में खदानों में केज कल्चर द्वारा मछली पालन किया जायेगा।

ii. खदानों में केज कल्चर में मुख्यतः G.I. पाईप से बने 12m x 8m x 5m के एक केज–एक बैटरी मॉडल अथवा 8m x 6m x 5m के दो केज–एक बैटरी मॉडल का उपयोग किया जाएगा। दिनांक 07.07.2021 को सम्पन्न बैठक जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक 878 दिनांक 19.07.2021 द्वारा निर्गत है, में जिला मत्स्य पदाधिकारियों की अनुशंसा अनुसार खदानों में बड़े केज अर्थात् 12m x 8m x 5m के एक केज–एक बैटरी से बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा क्योंकि वहाँ घुलनशील ऑक्सीजन जलाशयों की तुलना में कम होता है। साथ ही बड़े केज होने से पानी का बहाव बेहतर होगा।

iii. **खदानों का चयन –**

1. जिनका क्षेत्रफल ज्यादा हो।
2. पहुँच पथ हो तथा आबादी के नजदीक हो।
3. मत्स्यजीवी सहयोग समिति गठित हो अथवा स्थानीय लाभुक अपना अंशदान लगाने के इच्छुक हों।

iv. **लाभुकों का चयन** – लाभुकों का चयन जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा निम्न शर्त्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा :–

1. लाभुकों के चयन में खदानों के विस्थापितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. यदि खदान के उपयोग हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समिति गठित हो तो उसके सदस्य हो।
3. खदान के आस–पास के निवासी हों।
4. लाभुक अपना अंशदान लगाने का इच्छुक हो/सक्षम हो।
5. मत्स्यजीवी सहयोग समिति भी लाभुक हो सकती है।
6. एक बैटरी में अधिकतम दो लाभुक साझा हो सकते हैं।

26. **केज अधिष्ठापन** –

(i) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा वर्ष 2021 में G.I. पाईप से बने 12m x 8m x 5m के एक केज–एक बैटरी मॉडल के मो0 3,87,850/– रु0 मात्र तथा 8m x 6m x 5m के दो केज–एक बैटरी मॉडल के मो0 3,67,350/– रु0 मात्र के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

इन्हीं उपलब्ध प्राक्कलनों को ध्यान में रखते हुए दोनों आकार के केज बैटरी अधिष्ठापन हेतु अधिकतम मो0 3,60,000/– रु0 मात्र प्रति केज–बैटरी की दर निर्धारित की गई है।

(ii) निदेशक मत्स्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में "इच्छा की अभिव्यक्ति" आमंत्रित करते हुये उपरोक्त दोनों प्रकार के केज बैटरी की इकाई लागत मो0 3,58,000/– रु0 मात्र प्रति केज–बैटरी निर्धारित की गई है तथा मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 1839 दिनांक 22.12.2021 द्वारा इच्छुक फर्म/संवेदक का empanelling किया गया है।

(iii) केज का अधिष्ठापन लाभुक द्वारा उपर्युक्त कंडिका (ii) के द्वारा empanelled फर्म/संवेदक से कराया जाएगा।

(iv) 'इच्छा की अभिव्यक्ति'' में निर्धारित प्रति केज–बैटरी की दर मो0 3,58,000/– रु0 मात्र पर 90 प्रतिशत अर्थात् मो0 3,22,200/– रु0 मात्र का अनुदान देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा। खदानों के विस्थापित केज लाभुकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केज अधिष्ठापन में 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

27. **केज में इनपुट** –

(i) विस्थापित केज लाभुकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उपरोक्त उल्लिखित दोनों प्रकार के केज–बैटरी हेतु इनपुट के लिए राज्य सरकार का अंशदान 50 प्रतिशत (अधिकतम मो0 2,00,000/–रू0) होंगे तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा।

(ii) लाभुक के द्वारा इनपुट यथा समुचित संख्या में मत्स्य बीज (प्रति बैटरी कम से कम 12000 मत्स्य बीज) संचयन के उपरांत एवं मानक कम्पनियों के 2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फिश फीड तथा आवश्यकतानुसार 4 mm तक के फ्लोटिंग फिश फीड के GST सहित अभिश्रव प्रस्तुत करने अथवा झास्कोफिश/विभागीय फिश फीड मिल से 4 mm तक के फ्लोटिंग फिश फीड के क्रय पर ही इनपुट की राशि लाभुकों के बैंक खाते में तीन किस्तों में डी0 बी0 टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

(iii) फिश फीड के क्रय की भौतिक सत्यापन की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों की होगी।

28. **केज मत्स्य पालकों को नाव** – केज मत्स्य पालकों को नाव भी उपलब्ध कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना तथा केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण योजना अन्तर्गत सामान्य नाव हेतु स्वीकृत दर के अनुरुप ही केज लाभुकों को दिये जाने वाले नाव हेतु प्रति नाव की अनुमानित इकाई लागत 33,000/– (तैंतीस हजार) रु0 होगी जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम 30,000/– (तीस हजार) रु0 प्रति नाव होगी। शेष राशि लाभुक सदस्यों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों के द्वारा कय के भौतिक सत्यापन उपरांत ही अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में डी0 बी0 टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

29. **केज मत्स्य पालकों को लाईफ जैकेट** – केज मत्स्य पालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें Three Buckle 5 mm EPF foam filled the whole jacket, weight capacity : 70 - 120 kg, buoyancy 150 N, material – polyster water resistance, size – standard 68 cm X 37 cm X 10 cm, equipped with useful whistle का एक लाईफ जैकेट हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में निदेशक मत्स्य द्वारा उल्लिखित लाईफ जैकेट की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 2420/– रुपये का 75 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 1815/– रुपये का स्वीकृत अनुदान देय होगा तथा शेष अंशदान लाभुक का अपना होगा। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों के द्वारा कय के भौतिक सत्यापन उपरांत ही अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में डी0 बी0 टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

30. **केज रिमॉडलिंग** – प्राकृतिक आपदा, स्थानीय चकवात, कॉप कैश के कारण लाभुकों/धारक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के टूटे केज की रिमॉडलिंग हेतु जीर्णोद्धार मद में राशि स्वीकृत की गई है।

(i) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा वर्ष 2021 में G.I. पाईप से बने चार केज–एक बैटरी मॉडल/दो केज–एक बैटरी मॉडल/एक केज–एक बैटरी मॉडल के एक केज–एक बैटरी में रिमॉडलिंग के मो0 1,83,500/– रु0 मात्र के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ii) निदेशक मत्स्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में "इच्छा की अभिव्यक्ति" आमंत्रित करते हुये केज रिमॉडलिंग की इकाई लागत मो0 1,82,500/– रु0 मात्र प्रति निर्धारित की गई है तथा मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 180 दिनांक 27.01.2023 द्वारा इच्छुक फर्म/संवेदक का empanelling किया गया है।

(iii) केज रिमॉडलिंग कार्य लाभुक/धारक समिति द्वारा उपर्युक्त कंडिका 30 (ii) के द्वारा empanelled फर्म/संवेदक से कराया जाएगा।

(iv) " इच्छा की अभिव्यक्ति " में निर्धारित केज रिमॉडलिंग दर मो0 1,82,500/– रु0 मात्र प्रति पर 90 प्रतिशत अर्थात् मो0 1,64,250/– रु0 मात्र का अनुदान देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभुक/धारक समिति का अंशदान होगा। जलाशयों के विस्थापितों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केज रिमॉडलिंग में भी 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

(v) केज रिमॉडलिंग हेतु लाभुक पूर्व में केज धारक अथवा जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य हो। मत्स्यजीवी सहयोग समिति भी लाभुक हो सकती है। लाभुक अपना अंशदान लगाने का इच्छुक हो/सक्षम हो। चार केज–एक बैटरी मॉडल अथवा दो केज–एक बैटरी मॉडल में अधिकतम दो लाभुक साझा हो सकते हैं। जलाशयों के विस्थापित केज धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(vi) केज रिमॉडलिंग के लिए इच्छुक लाभुक/धारक समिति जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन देंगे। प्राप्त आवेदनों की स्थल जाँच प्रभारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक अथवा आवश्यकतानुसार जिला मत्स्य पदाधिकारी स्वयं लाभुकों के साथ करेंगे।

(vii) मरम्मति योग्य केज का लाभुकवार केज रिमॉडलिंग के अभिलेख तैयार किए जायेंगे। अभिलेख में लाभुक का आवेदन, केज का फोटोग्राफ्स (Latitude – Longitude सहित), रिमॉडलिंग कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की सूची, मजदूरी पर व्यय की गई राशि, केजों की कुल संख्या तथा रिमॉडलिंग के उपरांत फोटोग्राफ एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी की टिप्पणीं सहित लाभुक का कार्य संपादित का आवेदन संधारित किये जायेंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी केज रिमॉडलिंग में हुए कार्यों में लाभुकों के अंशदान के समानुपातिक राज्य सहायता सुनिश्चित करेंगे।

31. **फ्लोटिंग जेट्टी** – जलाशयों के किनारे में लैडिंग कार्यस्थल हेतु आपूर्ति सामग्री मद में फ्लोटिंग जेट्टी अधिष्ठापन हेतु राशि स्वीकृत की गई है।

(i) पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 131 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्गत औपबंधिक कार्यादेश में अंकित दर मो0 35,900/– रु0 प्रति Sq. m के आधार पर ही 40 Sq. m के फ्लोटिंग जेट्टी अधिष्ठापन हेतु अधिकतम मो0 14,36,000/– रु0 मात्र की दर निर्धारित की गई है।

(ii) फ्लोटिंग जेट्टी अधिष्ठापन हेतु पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक Specifications के आलोक में जिला स्तर पर संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकरियों के द्वारा "इच्छा की अभिव्यक्ति" आमंत्रित करते हुये अथवा पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड सरकार के द्वारा यदि इस हेतु empanelled फर्म/संवेदक हो तो, से कराया जाएगा। किये गये कार्य के अभिश्रवों के आधार पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा राशि कार्य एजेन्सियों/आपूर्तिकर्त्ता के बैंक खाता में एकमुश्त हस्तांतरित की जायेगी।

(iii) फ्लोटिंग जेट्टी अधिष्ठापन हेतु जलाशय का चयन संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा इससे उपायुक्त को संचिका के माध्यम से अवगत कराया जायेगा। फ्लोटिंग जेट्टी के रख–रखाव की जिम्मेवारी उस जलाशय के मत्स्यजीवी सहयोग समिति की होगी।

केज अधिष्ठापन, फ्लोटिंग जेट्टी अधिष्ठापन एवं केज रिमॉडलिंग का जिलावार एवं लघु शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य कमशः परिशिष्ट **'VI'** एवं **'VII'** के रुप में संलग्न है।

32. योजना के तहत् कंडिका–8 (ग), 10 (ङ), (छ), (झ) एवं (ञ) तथा कंडिका 26 एवं 30 में अंकित components हेतु चयनित प्रत्येक लाभुकों/लाभुक समूहों/लाभुक समितियों का Escrow Account संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा अनिवार्य रुप से खोला जायेगा एवं अनुदान की राशि नियमानुसार चयनित लाभुकों के संबंधित बैंक खातों (Escrow Account) में DBT के माध्यम से हस्तांतरित किया जायेगा। अंतिम रुप से चयनित होने के उपरांत लाभुकों को भी अपना अंशदान Escrow Account में 01 (एक) माह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। लाभुक अंशदान जमा होने के उपरांत ही लाभुकों को योजना का लाभ प्राप्त करने की अर्हता प्राप्त होगी। आवेदक/आवेदक समिति के द्वारा लाभुक अंशदान संबंधित Escrow Account में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। किये गये कार्य के अभिश्रवों के आधार पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा लाभुक अंशदान एवं अनुदान की राशि कार्य एजेन्सियों/आपूर्तिकर्त्ता के बैंक खाता में एकमुश्त हस्तांतरित की जायेगी।

33. झारखण्ड दिव्यांग नीति के तहत इच्छुक दिव्यांगों को योजनाओं में तीन प्रतिशत तक का लाभ दिया जा सकेगा।

34. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रकियाओं का अनुपालन करते हुये दर का निर्धारण कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

35. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

36. विषयगत योजना कार्यान्वयन के कम में मशीन, उपस्कर इत्यादि के कय वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉची द्वारा निर्धारित मानकों/शर्त्तों/नियमों/समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का सुदृढ़तापूर्वक पालन किया जाए।

37. मशीन, उपस्कर इत्यादि के Specification का निर्धारण मत्स्य निदेशालय स्तर पर तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित किये जाने के उपरांत विहित पारदर्शी वित्तीय प्रक्रिया अपनाते हुए GeM/खुली निविदा से किया जाए।

38. योजनांतर्गत प्रसंगाधीन शीर्ष के तहत् जिस अवयव के लिए बजटीय उपबंध प्रावधानित है, स्वीकृत राशि का व्यय उन्हीं कार्यों के निमित सुनिश्चित किया जाय।

39. योजनाओं को भौतिक निरीक्षण निदेशक, मत्स्य/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक/जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

क0	पदाधिकारी	योजनावार निरीक्षण की न्यूनतम संख्या
1.	जिला मत्स्य पदाधिकारी	20 (बीस)
2.	उप मत्स्य निदेशक	10 (दस)
3.	संयुक्त मत्स्य निदेशक	05 (पाँच)
4.	निदेशक, मत्स्य	02 (दो)

योजना का अनुश्रवण त्रिस्तरीय होगा। प्रथमतः क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी स्थल निरीक्षण/परियोजना निरीक्षण करते हुए संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को प्रतिवेदन देंगे।

निरीक्षण का द्वितीय स्तर जिला मत्स्य पदाधिकारी का होगा। निरीक्षण का तृतीय स्तर निदेशालय का होगा। निदेशक मत्स्य द्वारा निदेशालय स्तरीय संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक/सहायक मत्स्य निदेशकों से औचक निरीक्षण कराया जाएगा। प्रत्येक निरीक्षण के उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित योजना अभिलेख में अंकित किया जायेगा।

40. योजना के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित शक्तियों के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं की भागदारी सुनिश्चित किया जाय।

41. Cluster पद्धति से ही कार्य कराया जाय ताकि योजना का समुचित अनुश्रवण हो सके।

42. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के Guidelines में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

43. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः दोषी होंगे।

44. वित्तीय वर्ष 2024–25 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही आवंटन निर्गत किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः दोषी होंगे।

45. योजना के अन्तर्गत कोई राशि अग्रिम के समायोजन हेतु लंबित नहीं है।

46. यह चालू प्रकृति की अम्ब्रेला **(Umbrella Scheme)** योजना है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्य शीर्ष–2405 एवं 4405 सहित स्वीकृत बजट उपबंध मो0 7330.00 लाख रु0 (संशोधित बजट उपबंध मो0 6600.00 लाख रु0) मात्र में से मो0 5500.84817 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

47. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना ज्ञापांक 301 दिनांक 11.03.2015 एवं ज्ञापांक 1269 दिनांक 21.09.2023 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

48. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्त्तों का अक्षरशः सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

49. योजना स्वीकृति के प्रस्ताव पर मा० विभागीय मंत्री का निम्नांकित निदेशों के साथ अनुमोदन प्राप्त है :–

(i) योजना क्रियान्वयन के संबंध में वित्त विभाग/कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के साथ–साथ अन्य विभागीय शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) नियमानुसार आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय प्रतिवेदन की प्राप्ति एवं अन्य सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

50. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा निम्नांकित शर्त के साथ सहमति प्राप्त है :–

"मा० विभागीय मंत्री के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं वित्त विभाग झारखण्ड द्वारा द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों/ अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।"

51. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 1050 (ii)/ /रॉची, **दिनांक** 04.07.25

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉंची/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 10 रा० वि०/ रॉची, दिनांक 04.07.25

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकरिता विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त (सभी)/उप विकास आयुक्त (सभी) एवं सभी अपर समाहर्ता (अध्यक्ष, जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 10 रा० वि०/ रॉची, दिनांक 04.07.25

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव एवं सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकरिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

परिशिष्ट – I

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2405–मछली पालन एवं 4405–मछली पालन पर पूंजीगत् परिव्यय–लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	कार्य	1 हजारीबाग	2 रामगढ़	3 कोडरमा	4 चतरा	5 बोकारो	6 गिरिडीह	7 धनबाद	8 गोड्डा	9 पलामू	10 गढ़वा	11 देवघर	योग
I	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना											
क	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री												
1	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	120	70	60	80	130	80	80	60	50	50	110	890
2	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	10.80	6.30	5.40	7.20	11.70	7.20	7.20	5.40	4.50	4.50	9.90	80.10
3	मत्स्य बीज उत्पादकों की संख्या का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	400	280	280	310	360	250	340	280	340	300	360	3500
4	मत्स्य बीज उत्पादकों को इनपुट फॉर्मूलेटेड फीड तथा जाल का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	16.00	11.20	11.20	12.40	14.40	10.00	13.60	11.20	13.60	12.00	14.40	140.00
5	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पौंन आपूर्ति का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	10000	7000	7000	7750	9000	6250	8500	7000	8500	7500	9000	87500
6	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पौंन आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	49.500	34.650	34.65	38.3625	44.55	30.94	42.075	34.6500	42.08	37.125	44.5500	433.1250
7	पोर्टेबल/प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना/विभागीय योजना/अन्य योजना से निर्मित मत्स्य बीज हैचरियों से मत्स्य स्पौंन उत्पादन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	60	18	24	24	42	42	30	18	18	15	30	321
8	पोर्टेबल/प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना/विभागीय योजना/अन्य योजना से निर्मित मत्स्य बीज हैचरियों से स्पौंन उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	24.00	7.20	9.60	9.60	16.80	16.80	12.00	7.20	7.20	6.00	12.00	128.40
9	विभागीय हैचरी का रखरखाव (ब्रूडर तथा प्रेरित प्रजनन सहित) एवं स्पौंन उत्पादन का भौतिक लक्ष्य (स0 करोड़ में)	15	8	0	0	15	0	8	0	3	3	6	58
10	विभागीय हैचरी का रखरखाव (ब्रूडर तथा प्रेरित प्रजनन सहित) एवं स्पौंन उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	6.00	3.20	0.00	0.00	6.00	0.00	3.20	0.00	1.20	1.20	2.40	23.20
11	जलाशय के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पौंन के संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	46	18	21	7	15	7	17	6	8	3	16	164
12	जलाशय के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पौंन के संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	36.80	14.40	16.80	5.60	12.00	5.60	13.60	4.80	6.40	2.40	12.80	131.20
13	नदियों के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पौंन के संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	2.00	1.50	1.00	1.00	0.50	1.50	1.50	0.50	1.00	1.00	1.00	12.50
14	नदियों के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पौंन के संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	1.40	1.05	0.70	0.70	0.35	1.05	1.05	0.35	0.70	0.70	0.70	8.75
15	जलाशय में मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	34	20	15	12	26	11	32	10	14	10	20	204
16	जलाशय में मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	25.50	15.00	11.25	9.00	19.50	8.25	24.00	7.50	10.50	7.50	15.00	153.00
17	जलाशय में ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	8	5	3	2	3	2	2	2	3	2	4	36
18	जलाशय में ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	12.00	7.50	4.50	3.00	4.50	3.00	3.00	3.00	4.50	3.00	6.00	54.00
19	तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु मत्स्य अंगुलिका के क्रय मे सहायता का भौतिक लक्ष्य (सं0 एकड़ में)	150	90	90	86	120	80	100	80	100	80	100	1076
20	तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु मत्स्य अंगुलिका के क्रय मे सहायता का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	2.813	1.688	1.688	1.613	2.250	1.500	1.875	1.500	1.875	1.500	1.875	20.175
21	वर्ष 2023–24 तक पुराने केजों एवं विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc pond/Biofloc Tank में पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अमृत कतला/अन्य उपयुक्त बीजों का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	76	18	46	2	32	5	20	3.60	10	6	30	248.60
22	वर्ष 2023–24 तक पुराने केजों एवं विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc pond/Biofloc Tank में पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अमृत कतला/अन्य उपयुक्त बीजों का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)	114.00	27.00	69.00	3.00	48.00	7.50	30.00	5.40	15.00	9.00	45.00	372.90
23	पुराने रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	35	40	50	5	0	13	45	2	20	10	5	223
24	पुराने रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का इनपुट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	8.75	10.00	12.50	1.25	0.00	3.25	11.25	0.00	5.00	2.50	1.25	55.75
25	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये नाव का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	17	8	12	3	4	5	8	3	12	5	4	81
26	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये नाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	5.10	2.40	3.60	0.90	1.20	1.50	2.40	0.90	3.60	1.50	1.20	24.30
27	वर्ष 2020–21 के पूर्व निर्मित केजों के लिए ग्रो–आउट नेट का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	75	30	15	9	26	0	90	0	7	0	35	287
28	वर्ष 2020–21 के पूर्व निर्मित केजों के लिए ग्रो–आउट नेट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	16.98750	6.79500	3.39750	2.03850	5.88900	0.00000	20.38500	0.00000	1.58550	0.00000	7.92750	65.00550
29	म0जी0स0 समितियों के लिये मोटरचालित नाव का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	7
30	म0जी0स0 समितियों के लिये मोटरचालित नाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	7.452	3.726	3.726	0.000	0.000	0.000	3.726	0.000	3.726	3.726	0.000	26.082
31	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये गिल नेट का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	40	20	27	15	9	8	20	6	15	20	8	188
32	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये गिल नेट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	1.06200	0.53100	0.71685	0.39825	0.23895	0.21240	0.53100	0.15930	0.39825	0.53100	0.21240	4.99140
33	केज हाउस अधिष्ठापन का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	2	2	2	1	1	0	2	0	1	1	0	12
34	केज हाउस अधिष्ठापन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	10.818	10.818	10.818	5.409	5.409	0.000	10.818	0.000	5.409	5.409	0.000	64.908
35	नए रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	10	0	8	3	0	8	8	0	8	8	0	53
36	नए रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का इनपुट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	8.60	0.00	6.88	2.58	0.00	6.88	6.88	0.00	6.88	6.88	0.00	45.58
	उप योग (वित्तीय लक्ष्य)	357.58200	163.45750	206.42585	103.05075	192.78695	103.67990	207.59000	82.05930	134.14875	105.47100	175.21490	1831.46690
ख	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)												
37	कार्यालयों/ प्रक्षेत्रों के अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) (सोलर लाईट आदि) (राशि लाख रू0 में)	1.25	1.00	1.25	1.00	1.25	1.00	1.25	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
ग	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय												
38	परियोजना कार्यान्वयन हेतु आकस्मिकता व्यय (राशि लाख रू0 में)	2.00	1.25	1.50	1.00	1.25	1.00	1.50	1.00	1.25	1.25	1.50	14.50
	मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन का योग (वित्तीय लक्ष्य)	360.83200	165.70750	209.17585	105.05075	195.28695	105.67990	210.34000	84.05930	136.39875	107.72100	177.71490	1857.96690
II	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय–उप शीर्ष–72–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना											
क	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार												
39	केज रिपेयरिंग का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	22	10	20	0	15	0	45	15	10	0	25	162
40	केज रिपेयरिंग का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	5.50	2.50	5.00	0.00	3.75	0.00	11.25	3.75	2.50	0.00	6.25	40.50
	मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय का योग (वित्तीय लक्ष्य)	5.50	2.50	5.00	0.00	3.75	0.00	11.25	3.75	2.50	0.00	6.25	40.50
	कुल योग (वित्तीय लक्ष्य)	366.332000	168.207500	214.175850	105.050750	199.036950	105.679900	221.590000	87.809300	138.898750	107.721000	183.964900	1898.466900

(मो0 अठारह करोड़ अन्ठानवे लाख छियालीस हजार छह सौ नब्बे रू0 मात्र)

नोट :– वर्णांकित राशि को आवटन नहीं समझा जाय।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट – II

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2405–मछली पालन एवं 4405–मछली पालन पर पूंजीगत् परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	कार्य	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग
		रॉंची	खूँटी	गुमला	सिमडेगा	लोहरदगा	लातेहार	चाईबासा	जमशेदपुर	सरायकेला	दुमका	जामताड़ा	साहेबगंज	पाकुड़	म0कि0प्र0के0	
I	मुख्य शीर्ष															
क	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री	मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना														
1	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	120	50	260	95	55	65	105	90	60	100	80	60	60	110	1310
2	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	10.800	4.500	23.400	8.550	4.950	5.850	9.450	8.100	5.400	9.000	7.200	5.400	5.400	9.900	117.900
3	मत्स्य बीज उत्पादकों की संख्या का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	282	130	250	190	180	230	328	260	370	250	180	180	170	0	3000
4	मत्स्य बीज उत्पादकों को इपनुट (फॉर्मूलेटेड फीड एवं जाल) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	11.280	5.200	10.000	7.600	7.200	9.200	13.120	10.400	14.800	10.000	7.200	7.200	6.800	0.000	120.000
5	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	7050	3250	6250	4750	4500	5600	8000	6500	9600	6250	4500	4500	4250	0	75000
6	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	34.8975	16.0875	30.9375	23.5125	22.2750	27.7200	39.6000	32.1750	47.5200	30.9375	22.2750	22.2750	21.0375	0.0000	371.2500
7	पोर्टेबल/प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना/विभागीय योजना/अन्य योजना से निर्मित मत्स्य बीज हैचरियों से मत्स्य स्पॉन उत्पादन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	30	12	24	21	21	18	36	24	36	24	15	15	18	0	294
8	पोर्टेबल/प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना/विभागीय योजना/अन्य योजना से निर्मित मत्स्य बीज हैचरियों से स्पॉन उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	12.000	4.800	9.600	8.400	8.400	7.200	14.400	9.600	14.400	9.600	6.000	6.000	7.200	0.000	117.600
9	विभागीय हैचरी का रखरखाव (ब्रूडर तथा प्रेरित प्रजनन सहित) एवं स्पॉन उत्पादन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	15	0	15	8	0	8	8	8	0	5	8	0	0	15	90
10	विभागीय हैचरी का रखरखाव (ब्रूडर तथा प्रेरित प्रजनन सहित) एवं स्पॉन उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख	6.00	0.00	6.00	3.20	0.00	3.20	3.20	3.20	0.00	2.00	3.20	0.00	0.00	6.00	36.00
11	जलाशय के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	48	8	15	15	7	10	26	11	50	15	14	0	9	0	228
12	जलाशय के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	38.40	6.40	12.00	12.00	5.60	8.00	20.80	8.80	40.00	12.00	11.20	0.00	7.20	0.00	182.40
13	नदियों के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन के संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	1.00	1.00	1.50	1.00	0.50	1.50	1.50	0.50	1.50	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00
14	नदियों के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन के संचयन का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	0.70	0.70	1.05	0.70	0.35	1.05	1.05	0.35	1.05	0.70	0.00	1.40	0.00	0.00	9.10
15	जलाशय में मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	27	10	25	18	11	7	31	12	50	52	17	0	4	0	264
16	जलाशय में मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	20.25	7.50	18.75	13.50	8.25	5.25	23.25	9.00	37.50	39.00	12.75	0.00	3.00	0.00	198.00
17	जलाशय में ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	7	1	3	4	1	2	4	3	10	5	5	0	1	0	46
18	जलाशय में ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	10.50	1.50	4.50	6.00	1.50	3.00	6.00	4.50	15.00	7.50	7.50	0.00	1.50	0.00	69.00
19	तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु मत्स्य अंगुलिका के कय में सहायता का भौतिक लक्ष्य (सं0 एकड़ में)	200	80	150	100	100	100	150	150	100	150	80	150	90	0	1600
20	तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु मत्स्य अंगुलिका के कय में सहायता का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	3.7500	1.5000	2.8125	1.8750	1.8750	1.8750	2.8125	2.8125	1.8750	2.8125	1.5000	2.8125	1.6875	0.0000	30.0000
21	वर्ष 2023–24 तक पुराने केजों एवं विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc pond/Biofloc Tank में पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अमृत कतला/अन्य उपयुक्त बीजों का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	25	8	6	4.50	4.50	0	30	0	78	9	3.5	0	9.60	0	178.10
22	वर्ष 2023–24 तक पुराने केजों एवं विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc pond/Biofloc Tank में पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अमृत कतला/अन्य उपयुक्त बीजों का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)	37.50	12.00	9.00	6.75	6.75	0.00	45.00	0.00	117.00	13.50	5.25	0.00	14.40	0.00	267.15
23	पुराने रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	80	2	14	25	8	10	30	12	70	10	10	0	0	0	271
24	पुराने रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का इनपुट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	20.00	0.50	3.50	6.25	2.00	2.50	7.50	3.00	17.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	67.75
25	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये नाव का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	13	2	4	5	2	2	12	8	14	5	2	16	3	0	88
26	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये नाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	3.90	0.60	1.20	1.50	0.60	0.60	3.60	2.40	4.20	1.50	0.60	4.80	0.90	0.00	26.40
27	वर्ष 2020–21 के पूर्व निर्मित केजों के लिए ग्रो–आउट नेट का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	53	18	0	52	0	0	0	0	16	55	0	0	0	0	194
28	वर्ष 2020–21 के पूर्व निर्मित केजों के लिए ग्रो–आउट नेट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	12.0045	4.0770	0.0000	11.7780	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.6240	12.4575	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	43.9410
29	म0जी0स0 समितियों के लिये मोटरचालित नाव का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	1	1	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9
30	म0जी0स0 समितियों के लिये मोटरचालित नाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	3.726	3.726	7.452	7.452	3.726	0.000	7.452	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	33.534
31	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये गिल नेट का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	30	10	30	20	10	10	30	10	176	20	10	150	10	0	516
32	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये गिल नेट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.7965	0.2655	0.7965	0.5310	0.2655	0.2655	0.7965	0.2655	4.6728	0.5310	0.2655	3.9825	0.2655	0.0000	13.6998
33	केज हाउस अधिष्ठापन का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	3	0	2	2	0	0	2	0	3	2	1	0	1	0	16
34	केज हाउस अधिष्ठापन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	16.227	0.000	10.818	10.818	0.000	0.000	10.818	0.000	16.227	10.818	5.409	0.000	5.409	0.000	86.544
35	नए रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	10	8	0	8	4	4	10	0	0	0	0	10	0	0	54
36	नए रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का इनपुट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	8.60	6.88	0.00	6.88	3.44	3.44	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	46.44
	उप योग (वित्तीय लक्ष्य)	251.3315	76.2360	151.8165	137.2965	77.1815	79.1505	217.4490	94.6030	340.7688	164.8565	92.8495	62.4700	74.7995	15.9000	1836.7088
ख	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)															
37	कार्यालयों/ प्रक्षेत्रों के अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) (सोलर लाईट आदि) (राशि लाख रू0 में)	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	35.000
ग	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय															
38	परियोजना कार्यान्वयन हेतु आकस्मिकता व्यय (राशि लाख रू0 में)	2.000	1.050	1.200	1.200	1.000	1.000	1.250	1.000	2.000	1.250	1.050	1.000	1.000	1.000	17.000
	मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन का योग (वित्तीय लक्ष्य)	271.3315	78.2860	154.0165	139.4965	79.1815	81.1505	219.6990	96.6030	343.7688	167.1065	94.8995	64.4700	76.7995	21.9000	1888.7088
II	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय–उप शीर्ष–72–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना														
क	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार															
39	केज रिपेयरिंग का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	15	0	0	21	10	0	24	0	0	35	0	0	15	0	120
40	केज रिपेयरिंग का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	3.75	0.00	0.00	5.25	2.50	0.00	6.00	0.00	0.00	8.75	0.00	0.00	3.75	0.00	30.00
	मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय का योग (वित्तीय लक्ष्य)	3.75	0.00	0.00	5.25	2.50	0.00	6.00	0.00	0.00	8.75	0.00	0.00	3.75	0.00	30.00
	कुल योग (वित्तीय लक्ष्य)	275.0815	78.2860	154.0165	144.7465	81.6815	81.1505	225.6990	96.6030	343.7688	175.8565	94.8995	64.4700	80.5495	21.9000	1918.7088

नोट :– कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 उन्नीस करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार आठ सौ अस्सी रु0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट – III

वित्तीय वर्ष 2025–26 में माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष 2405–मछली पालन–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास योजना एवं जीर्णोद्धार के अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 क	कार्य विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री	1 राँची	2 खूँटी	3 गुमला	4 सिमडेगा	5 लोहरदगा	6 लातेहार	7 चाईबासा	8 जमशेदपुर	9 सरायकेला	10 दुमका	11 जामताड़ा	12 साहेबगंज	13 पाकुड़	14 हजारीबाग	15 रामगढ़	16 कोडरमा	17 चतरा	18 बोकारो	19 गिरिडीह	20 धनबाद	21 गोड्डा	22 पलामू	23 गढ़वा	24 देवघर	योग
1	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	15	5	40	5	5	5	10	10	15	15	10	10	20	15	5	15	10	10	10	10	20	10	10	20	300
2	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	1.350	0.450	3.600	0.450	0.450	0.450	0.900	0.900	1.350	1.350	0.900	0.900	1.800	1.350	0.450	1.350	0.900	0.900	0.900	0.900	1.800	0.900	0.900	1.800	27.000
3	मत्स्य बीज उत्पादकों की संख्या का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	100	40	50	20	40	30	30	30	50	30	30	30	40	70	30	50	30	50	50	45	45	30	20	60	1000
4	मत्स्य बीज उत्पादकों को इनपुट (फॉर्मूलेटेड फीड एवं जाल) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	4.000	1.600	2.000	0.800	1.600	1.200	1.200	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200	1.600	2.800	1.200	2.000	1.200	2.000	2.000	1.800	1.800	1.200	0.800	2.400	40.000
5	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	3000	1000	1250	500	1000	750	900	750	1500	750	750	500	750	2400	800	1400	800	1400	1400	1250	1250	800	500	1600	27000
6	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	14.8500	4.9500	6.1875	2.4750	4.9500	3.7125	4.4550	3.7125	7.4250	3.7125	3.7125	2.4750	3.7125	11.8800	3.9600	6.9300	3.9600	6.5300	6.9300	6.1875	6.1875	3.9600	2.4750	7.9200	133.6500
7	जलाशय के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	2	1	2	2	1	1	3	1	5	3	2	0	1	6	3	5	3	4	3	3	2	4	2	3	62
8	जलाशय के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	1.60	0.80	1.60	1.60	0.80	0.80	2.40	0.80	4.00	2.40	1.60	0.00	0.80	4.80	2.40	4.00	2.40	3.20	2.40	2.40	1.60	3.20	1.60	2.40	49.60
9	जलाशय में मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	3	1	2	0	1	0	2	0	5	4	2	0	1	5	3	5	3	4	3	5	2	4	3	4	62
10	जलाशय में मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)	2.25	0.75	1.50	0.00	0.75	0.00	1.50	0.00	3.75	3.00	1.50	0.00	0.75	3.75	2.25	3.75	2.25	3.00	2.25	3.75	1.50	3.00	2.25	3.00	46.50
11	जलाशय में ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	3	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	5	2	2	0	2	2	3	0	1	0	0	26
12	जलाशय में ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	4.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	4.50	0.00	1.50	0.00	0.00	39.00
13	तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु मत्स्य अंगुलिका के क्रय में सहायता का भौतिक लक्ष्य (सं0 एकड़ में)	50	20	40	25	30	20	26	25	35	25	25	35	25	40	30	35	30	40	35	35	30	30	30	35	751
14	तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु मत्स्य अंगुलिका के क्रय में सहायता का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	0.9375	0.3750	0.7500	0.4688	0.5625	0.3750	0.4875	0.4688	0.6563	0.4688	0.4688	0.6563	0.4688	0.7500	0.5625	0.6563	0.5625	0.7500	0.6563	0.6563	0.5625	0.5625	0.5625	0.6563	14.0813
15	वर्ष 2023–24 तक पुराने केजो एवं विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc pond/Biofloc Tank में पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अमृत कतला/अन्य उपयुक्त बीजो का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	5	0	2	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	20	5	20	3	5	0	5	1	5	1	5	83.00
16	वर्ष 2023–24 तक पुराने केजो एवं विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS//Biofloc pond/Biofloc Tank में पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अमृत कतला/अन्य उपयुक्त बीजो का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)	7.50	0.00	3.00	1.50	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	7.50	30.00	4.50	9.00	0.00	7.50	1.50	7.50	1.50	7.50	124.50
17	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये नाव का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	5	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	5	2	9	0	1	0	2	0	2	0	0	29
18	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये नाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	1.50	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.60	2.70	0.00	0.30	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	8.70
19	वर्ष 2020–21 के पूर्व निर्मित केजो के लिए प्रो–आउट नेट का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	14	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	15	8	0	16	0	0	12	0	0	0	21	153
20	वर्ष 2020–21 के पूर्व निर्मित केजो के लिए प्रो–आउट नेट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	3.1710	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	15.1755	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.3975	1.8120	0.0000	3.6240	0.0000	0.0000	2.7180	0.0000	0.0000	0.0000	4.7565	34.6545
21	म0जी0स0 समितियों के लिये मोटरचालित नाव का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4
22	म0जी0स0 समितियों के लिये मोटरचालित नाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	3.7260	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.7260	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.7260	3.7260	0.0000	14.9040
23	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये गिल नेट का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	11	0	0	0	5	0	10	0	20	0	0	0	0	5	5	10	10	4	0	4	0	5	5	0	94
24	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये गिल नेट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.29205	0.00000	0.00000	0.00000	0.13275	0.00000	0.26550	0.00000	0.53100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.13275	0.13275	0.26550	0.26550	0.10620	0.00000	0.10620	0.00000	0.13275	0.13275	0.00000	2.49570
25	केज हाउस अधिष्ठापन का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	9
26	केज हाउस अधिष्ठापन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	10.818	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21.636	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.818	0.000	0.000	0.000	5.409	0.000	0.000	0.000	0.000	48.681
	कुल योग (वित्तीय लक्ष्य)	56.49455	8.92500	18.63750	7.29375	14.04525	6.83750	26.38350	7.08125	52.14825	12.13125	9.38125	5.23125	9.13125	71.58625	23.86725	65.46975	19.66200	29.18620	18.13625	36.52695	14.95000	26.28125	13.94625	30.43275	583.76645

नोट :– कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 पाँच करोड़ तिरासी लाख छिहत्तर हजार छह सौ पैंतालीस रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट 'IV'

वित्तीय वर्ष 2025–26 में माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत आपूर्ति एवं सामग्री मद से मछली–सह–बत्तख पालन का जिलावार भौतिक (यूनिट में) एवं वित्तीय (लाख रु0 में) लक्ष्य

क्रम0	स्थापना का नाम	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन						लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना						कुल	
		अनुसूचित जनजाति		अन्य		कुल				अनुसूचित जनजाति		अन्य		कुल			
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	राँची	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	2	2.4536	5	6.1340	3	3.2204	8	9.3544	10	11.80795
2	खूँटी	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	1.2268	2	2.4536	1	1.0735	3	3.5271	4	4.75385
3	गुमला	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	2	2.4536	5	6.1340	2	2.1469	7	8.2809	9	10.73450
4	सिमडेगा	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	7	8.5876	3	3.2204	10	11.8080	10	11.80795
5	लोहरदगा	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	1.2268	2	2.4536	1	1.0735	3	3.5271	4	4.75385
6	प0 सिंहभूम	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	1.2268	7	8.5876	3	3.2204	10	11.8080	11	13.03475
7	पूर्वी सिंहभूम	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	2	2.4536	2	2.1469	4	4.6005	4	4.60050
8	सरायकेला	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	2	2.4536	6	7.3608	4	4.2938	10	11.6546	12	14.10820
9	लातेहार	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	2	2.4536	2	2.1469	4	4.6005	4	4.60050
10	जामताड़ा	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	1.2268	3	3.6804	2	2.1469	5	5.8273	6	7.05410
11	पाकुड़	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	1.2268	4	4.9072	2	2.1469	6	7.0541	7	8.28090
12	दुमका	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	4	4.9072	4	4.2938	8	9.2010	8	9.20100
13	साहेबगंज	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	6	7.3608	4	4.2938	10	11.6546	10	11.65460
14	हजारीबाग	3	3.6804	6	6.4407	9	10.1211	2	2.4536	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	11	12.57470
15	रामगढ़	1	1.2268	3	3.2204	4	4.4472	1	1.2268	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	5	5.67395
16	कोडरमा	1	1.2268	2	2.1469	3	3.3737	2	2.4536	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	5	5.82730
17	बोकारो	1	1.2268	2	2.1469	3	3.3737	1	1.2268	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	4	4.60050
18	धनबाद	2	2.4536	3	3.2204	5	5.6740	3	3.6804	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	8	9.35435
19	गिरिडीह	2	2.4536	3	3.2204	5	5.6740	3	3.6804	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	8	9.35435
20	देवघर	2	2.4536	3	3.2204	5	5.6740	3	3.6804	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	8	9.35435
21	चतरा	2	2.4536	2	2.1469	4	4.6005	3	3.6804	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	7	8.28090
22	गोड्डा	2	2.4536	3	3.2204	5	5.6740	2	2.4536	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	7	8.12755
23	पलामू	1	1.2268	4	4.2938	5	5.5206	2	2.4536	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	7	7.97420
24	गढ़वा	1	1.2268	3	3.2204	4	4.4472	1	1.2268	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	5	5.67395
	कुल	18	22.0824	34	36.4973	52	58.5797	34	41.7112	55	67.4740	33	35.4239	88	102.8979	174	203.18875

नोट :– कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 दो करोड़ तीन लाख अठारह हजार आठ सौ पचहत्तर रु0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट–V

वित्तीय वर्ष 2025–26 में माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत फीड बेस्ड फिशरीज का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	जिला का नाम	2405–मछली पालन उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास योजना एवं जीर्णोद्धार																								कुल भौतिक लक्ष्य (टन में)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
		101–अन्तर्देशीय मछली पालन									796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना										789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना							
		03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री						03–प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	03–प्रशासनिक व्यय–37–विद्युत व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री						03–प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	03–प्रशासनिक व्यय–37–विद्युत व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री							
		2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड का कय		झास्कोफिश/विभागीय फिश फीड मिल/PMMSY अंतर्गत निर्मित फिश फीड मिल से फ्लोटिंग फीड का कय		2 mm से बड़े 4 mm तक के फ्लोटिंग फीड का कय					2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड का कय		झास्कोफिश/विभागीय फिश फीड मिल/PMMSY अंतर्गत निर्मित फिश फीड मिल से फ्लोटिंग फीड का कय		2 mm से बड़े 4 mm तक के फ्लोटिंग फीड का कय					2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड का कय		झास्कोफिश/विभागीय फिश फीड मिल/PMMSY अंतर्गत निर्मित फिश फीड मिल से फ्लोटिंग फीड का कय		2 mm से बड़े 4 mm तक के फ्लोटिंग फीड का कय			
		भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)				भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)				भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	राँची	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	75	18.750	15	3.750	160	40.000	5.000	15.000	3.000	2	0.500	3	0.750	8	2.000	263	88.750
2	खूंटी	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	45	11.250	30	7.500	50	12.500	0.000	0.000	0.000	3	0.750	4	1.000	1	0.250	133	33.250
3	गुमला	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	60	15.000	25	6.250	80	20.000	0.000	0.000	0.000	3	0.750	4	1.000	2	0.500	174	43.500
4	सिमडेगा	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	40	10.000	10	2.500	80	20.000	0.000	0.000	0.000	2	0.500	3	0.750	1	0.250	136	34.000
5	लोहरदगा	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	20	5.000	10	2.500	30	7.500	0.000	0.000	0.000	3	0.750	3	0.750	2	0.500	68	17.000
6	लातेहार	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	10	2.500	8	2.000	10	2.500	0.000	0.000	0.000	2	0.500	3	0.750	1	0.250	34	8.500
7	प0 सिंहभूम	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	60	15.000	50	12.500	125	31.250	0.000	0.000	0.000	2	0.500	2	0.500	1	0.250	240	60.000
8	पूर्वी सिंहभूम	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	25	6.250	25	6.250	15	3.750	0.000	0.000	0.000	2	0.500	3	0.750	1	0.250	71	17.750
9	सरायकेला	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	150	37.500	135	33.750	374	93.500	5.000	5.000	3.000	2	0.500	36	9.000	11	2.750	708	190.000
10	दुमका	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	60	15.000	80	20.000	110	27.500	0.000	0.000	0.000	2	0.500	2	0.500	1	0.250	255	63.750
11	जामताड़ा	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	40	10.000	10	2.500	50	12.500	0.000	0.000	0.000	1	0.250	2	0.500	1	0.250	104	26.000
12	साहेबगंज	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	15	3.750	35	8.750	10	2.500	0.000	0.000	0.000	2	0.500	2	0.500	1	0.250	65	16.250
13	पाकुड़	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	12	3.000	5	1.250	15	3.750	0.000	0.000	0.000	1	0.250	2	0.500	1	0.250	36	9.000
14	हजारीबाग	105	26.250	40	10.000	300	75.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	4	1.000	10	2.500	4	1.000	463	115.750
15	रामगढ़	65	16.250	40	10.000	120	30.000	3.000	3.500	2.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.500	6	1.500	2	0.500	235	67.250
16	कोडरमा	85	21.250	85	21.250	140	35.000	3.000	5.500	2.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	8	2.000	30	7.500	20	5.000	368	102.500
17	चतरा	30	7.500	10	2.500	25	6.250	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.500	4	1.000	2	0.500	73	18.250
18	बोकारो	100	25.000	65	16.250	80	20.000	10.000	8.000	3.500	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	4	1.000	10	2.500	8	2.000	267	88.250
19	गिरिडीह	40	10.000	25	6.250	35	8.750	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.500	5	1.250	3	0.750	110	27.500
20	धनबाद	50	12.500	45	11.250	75	18.750	4.000	8.000	3.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	6	1.500	12	3.000	10	2.500	198	64.500
21	गोड्डा	25	6.250	15	3.750	40	10.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.500	4	1.000	2	0.500	88	22.000
22	पलामू	25	6.250	25	6.250	40	10.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	6	1.500	11	2.750	5	1.250	112	28.000
23	गढ़वा	20	5.000	10	2.500	20	5.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	3	0.750	6	1.500	1	0.250	60	15.000
24	देवघर	65	16.250	10	2.500	40	10.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.500	3	0.750	1	0.250	121	30.250
	योग	610	152.500	370	92.500	915	228.750	20.000	25.000	10.500	612	153.000	438	109.500	1109	277.250	10.000	20.000	6.000	68	17.000	170	42.500	90	22.500	4382	1187.000

(कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाए।)

(ग्यारह करोड़ सत्तासी लाख रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट VI

वित्तीय वर्ष 2025–26 में माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत खदानों में केज कल्चर द्वारा मछली उत्पादन एवं जलाशयों में फ्लोटिंग जेट्टी हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी

(क) खदानों में केज अधिष्ठापन

(1) लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन

कम	जिला का नाम	खदान	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री							
			केज बैटरी अधिष्ठापन		केज बैटरी हेतु इनपुट	सामान्य नाव		लाईफ जैकेट		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
			भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	हजारीबाग	खदान	2	6.444	4.00	1	0.30	2	0.0363	10.7803
2	बोकारो	खदान	2	6.444	4.00	1	0.30	2	0.0363	10.7803
3	गिरिडीह	खदान	2	6.444	4.00	1	0.30	2	0.0363	10.7803
4	रामगढ़	खदान	2	6.444	4.00	1	0.30	2	0.0363	10.7803
		उप योग:	**8**	**25.776**	**16.00**	**4**	**1.20**	**8**	**0.1452**	**43.12120**

(2) लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

कम	जिला का नाम	खदान	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री							
			केज बैटरी अधिष्ठापन		केज बैटरी हेतु इनपुट	सामान्य नाव		लाईफ जैकेट		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
			भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रामगढ़	खदान	4	12.8880	8.00	1	0.30	4	0.0726	21.2606
2	धनबाद	खदान	4	12.8880	8.00	1	0.30	4	0.0726	21.2606
		उप योग:	**8**	**25.7760**	**16.00**	**2**	**0.60**	**8**	**0.1452**	**42.5212**

(3) लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना

कम	जिला का नाम	खदान	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री							
			केज बैटरी अधिष्ठापन		केज बैटरी हेतु इनपुट	सामान्य नाव		लाईफ जैकेट		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
			भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	राँची	खदान	2	6.4440	4.00	1	0.30	3	0.0545	10.7985
2	सरायकेला	खदान	2	6.4440	4.00	1	0.30	3	0.0545	10.7985
3	दुमका	खदान	2	6.4440	4.00	1	0.30	3	0.0545	10.7985
4	पाकुड़	खदान	2	6.4440	4.00	1	0.30	3	0.0545	10.7985
		उप योग:	**8**	**25.7760**	**16.00**	**4**	**1.20**	**12**	**0.2178**	**43.1938**
		योग (क):	**24**	**77.3280**	48.00	10	3.00	**28**	**0.5082**	**128.8362**

(ख) जलाशयों में फ्लोटिंग जेट्टी (Floating Jetty) अधिष्ठापन

(1) लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन

कम	जिला का नाम	जलाशय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री		
			फ्लोटिंग जेट्टी अधिष्ठापन		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
			भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	
1	2	3	4	5	6
1	हजारीबाग	जलाशय	1	14.36	14.3600
2	कोडरमा		1	14.36	14.3600
3	देवघर		1	14.36	14.3600
		उप योग:	**3**	**43.08**	**43.0800**

(2) लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना

कम	जिला का नाम	जलाशय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री		
			फ्लोटिंग जेट्टी अधिष्ठापन		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
			भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	
1	2	3	4	5	6
1	राँची	जलाशय	2	28.72	28.7200
2	सरायकेला		1	14.36	14.3600
3	दुमका		1	14.36	14.3600
		उप योग:	**4**	**57.44**	**57.4400**
		योग (ख):	**7**	**100.52**	**100.5200**
		कुल योग (क) + (ख):			**229.3562**

(कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाए।)

(क) + (ख) कुल मो0 दो करोड़ उनतीस लाख पैंतीस हजार छह सौ बीस रु0 मात्र।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट VII

वित्तीय वर्ष 2025–26 में माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत् परिव्यय–उप शीर्ष–72–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना में जलाशयों के केजों के रिमॉडलिंग का भौतिक (केज बैटरी) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में) की विवरणी

कम	जिला का नाम	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन		लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना		कुल भौतिक लक्ष्य (केज बैटरी)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
		भौतिक लक्ष्य (केज बैटरी)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (केज बैटरी)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (केज बैटरी)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)		
		विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राँची	0	0.0000	2	3.2850	8	13.1400	**10**	**16.4250**
2	लोहरदगा	0	0.0000	1	1.6425	4	6.5700	**5**	**8.2125**
3	पश्चिमी सिंहभूम	0	0.0000	0	0.0000	2	3.2850	**2**	**3.2850**
4	सरायकेला	0	0.0000	2	3.2850	10	16.4250	**12**	**19.7100**
5	हजारीबाग	10	16.4250	2	3.2850	0	0.0000	**12**	**19.7100**
6	रामगढ़	10	16.4250	0	0.0000	0	0.0000	**10**	**16.4250**
7	बोकारो	5	8.2125	0	0.0000	0	0.0000	**5**	**8.2125**
8	चतरा	0	0.0000	3	4.9275	0	0.0000	**3**	**4.9275**
	कुल	**25**	**41.0625**	**10**	**16.4250**	**24**	**39.4200**	**59**	**96.9075**

(कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाए।)

(मो0 छियानवे लाख नब्बे हजार सात सौ पचास रु0 मात्र)।

(अबूबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

प्रणाम राजीव